






क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरुद्ध रूप से
	12/2/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. द्वारा आदेशानुसार दिनांक 2/4/25 को पेश हो।
	2.4.25	पत्रावली पेश हुई। अनुसार परिशोधन उप-पूर्विका की मांगना से पत्रावली दिनांक 24/4/25 को पेश हो।
	30.4.25	<p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर </p> <p>पत्रावली पेश हुई। अनुसार परिशोधन उप-पूर्विका की मांगना से पत्रावली दिनांक 25/4/25 को पेश हो।</p>
	25/6/25	<p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर </p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 27/8/25 को पेश हो।</p>
	27-8-25	<p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर </p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 10/9/25 को पेश हो।</p>
	10-9-25	<p style="text-align: center;">  </p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण द्वारा विवेक किया गया की प्रकरणों से प्रकरणों के मध्ये शर्तनामा ही गया है। इसलिए अपने वाद का जगि नहीं-समाप्त-गए है। अतः वाद किडों/Notelness करने की अनुमति प्रदान करें। अधिवक्ता वादीगण के विवेक पर वाद किडों किये जाने की अनुमति प्रदान की जाकर वादीगण का वाद स्वरित किया जाता है। पत्रावली प्रस्तुत सुमार हीकर नंबर से नाम होकर यादिल रक्षित हो।</p>

~~वि. प्र. 11/2/25~~


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर